



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18042026-271907
CG-DL-W-18042026-271907

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 13]

नई दिल्ली, अप्रैल 12—अप्रैल 18, 2026, शनिवार/चैत्र 22—चैत्र 28, 1948

No. 13]

NEW DELHI, APRIL 12—APRIL 18, 2026, SATURDAY/CHAITRA 22—CHAITRA 28, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

अंतरिक्ष विभाग
(भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन)

शुद्धिपत्र

बेंगलूरु, 3 मार्च, 2026

सा.का.नि. 92.—अंतरिक्ष विभाग / भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में परिचर-ए. (जी.एस.आर. 44) के पद के संबंध में भर्ती नियमों के संदर्भ में इस विभाग की दिनांक 29 दिसंबर, 2025 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, इस पद हेतु भर्ती नियमों की अनुसूची (10) के तहत निम्नलिखित खंड जोड़ा जाता है :-

'नोट 3: इस पद पर भविष्य में भर्ती होने वाले कर्मियों को मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में पदनामित किया जाएगा।'

[फा. सं. 26011/1/2025-I]

राजी आर., अवर सचिव

DEPARTMENT OF SPACE
(Indian Space Research Organisation)
CORRIGENDUM

Bangalore, the 3rd March, 2026

G.S.R. 92.— In partial modification of this Department's Notification of even number dated 29th December, 2025 regarding Recruitment Rules in respect of the post of Attendant-A (G.S.R. 44) in the Department of Space / Indian Space Research Organisation, the following clause is inserted under Schedule (10) of the Recruitment Rules for the post :-

'Note 3: The future recruitees to the post will be designated as Multi-Tasking Staff'

[F. No. 26011/1/2025-I]
RAJI R, Under Secy.

बेंगलूर, 3 मार्च, 2026

सा.का.नि. 93.— अंतरिक्ष विभाग / भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कार्यालय अधीक्षक (जी.एस.आर. 23) के पद के संबंध में भर्ती नियमों के संदर्भ में इस विभाग की दिनांक 29 दिसंबर, 2025 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, इस पद हेतु अनुसूची (3) के तहत विवरण तथा प्रविष्टि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

'संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतत् द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कार्यालय अधीक्षक (स्तर -8) समूह 'ख', अराजपत्रित पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं'

पद के लिए अनुसूची (3) के तहत प्रविष्टि के 'सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (अराजपत्रित)' के रूप में पढ़ा जाए।

उपर्युक्त संशोधन 29 दिसंबर, 2025 से प्रभावी होंगे।

[फा. सं. 26011/1/2025-I]
राजी आर., अवर सचिव

Bangalore, the 3rd March, 2026

G.S.R. 93.— In partial modification of this Department's Notification of even number dated 29th December, 2025 regarding Recruitment Rules in respect of the post of Office Superintendent (G.S.R. 23) in the Department of Space / Indian Space Research Organisation, the recital and entry under Schedule (3) for the post is amended as follows :-

'In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Office Superintendent (Level-8), in the Indian Space Research Organisation.'

The entry under Schedule (3) for the post may please be read as 'General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted)'.

The above modifications will be effective from 29th December, 2025.

[F. No. 26011/1/2025-I]
RAJI R, Under Secy.